सीबीआई के कार्य और उसकी प्रमुख भूमिकायें - GK नोट्स का PDF डाउनलोड करें!

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत की संघीय जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को कम करने के साथ ही आर्थिक और अन्य पारंपरिक अपराधों की जांच करने के लिए देश की निगरानी करती है। अभूतपूर्व घटनाओं में, सीबीआई छापे के साथ ही बहुत सारे विवाद हुए हैं। केंद्र सरकार के हालिया आदेश के मुताबिक सीबीआई के कर्तव्यों और कार्यों को तत्काल प्रभाव से लिया जाएगा। तो, चलिए सीबीआई के कार्य के साथ ही उसकी भूमिका और शक्तियों को भी जानते हैं। सीबीआई के बारे में विस्तृत जानकारी को जानने के लिए इस लेख को पढ़ें और यह भी जान लें कि आखिर समाचार में सीबीआई क्यों छाई हुयी है? साथ ही इसे पीडीऍफ़ में भी डाउनलोड करना न भूलें!

सीबीआई का इतिहास

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उत्पत्ति युद्ध और आपूर्ति विभाग में रिश्वत और भ्रष्टाचार की जांच के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में, भारत सरकार ने महसूस किया कि व्यय की भारी राशि ने जनता और भारत सरकार के अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के पदों पर सामाजिक-विरोधी तत्वों को लागत पर रिश्वत और भ्रष्टाचार में शामिल होने का मौका दिया था। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए इसकी स्थापना की गयी।
- 1941 में भारत सरकार ने तत्कालीन युद्ध विभाग में डीआईजी के तहत विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पारित किया जिसमें युद्ध और आपूर्ति विभाग के संबंध में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए जनादेश था।
- 1942 के अंत तक, भारत सरकार द्वारा रेलवे पर भी भ्रष्टाचार के मामलों को शामिल करने के लिए एसपीई की गतिविधियों को व्यापक किया गया था।
- भारत सरकार ने 1943 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसने विशेष पुलिस बल का गठन किया और इसे ब्रिटिश भारत में कहीं भी केंद्र सरकार के विभागों के संबंध में कुछ अपराधों की जांच करने की शक्तियों के साथ निहित किया।
- रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए युद्ध के बाद भी केंद्र सरकार को एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई थी, अध्यादेश को 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था। उसी वर्ष, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम को अस्तित्व में लाया गया था ।
- गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1963 में एसपीई का नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के रूप में बदल दिया गया था।

सीबीआई की संरचना

सीबीआई की अध्यक्षता एक निदेशक करते हैं जो आम तौर पर पुलिस महानिदेशक के पद के साथ एक आईपीएस अधिकारी होता है। वर्तमान में निम्नलिखित सीबीआई संविधान का हिस्सा हैं:

1. **भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (Anti-Corruption Division)**: यह डिवीजन रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों और भ्रष्टाचार के निवारक पहलुओं से संबंधित कार्यों के संबंध में जानकारी एकत्रित करता है। वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में सरकारी कर्मचारियों और सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकारी अधिकारियों के तहत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच करते हैं।
2. **विशेष अपराध विभाग (Special Crimes Division)**: सीबीआई का यह डिवीजन विभिन्न प्रकार के अपराधों और हत्याओं, अपहरण, बलात्कार, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है, जो संगठित आपराधिक परिवारों और गिरोहों द्वारा किए जाते हैं, जो कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। सीबीआई अन्य आईपीसी अपराधों के साथ-साथ डीएसपीई अधिनियम के तहत अधिसूचित स्थानीय और विशेष कानूनों के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन भी करता है।
3. **आर्थिक अपराध विभाग (Economic Offences Division)**: सीबीआई का यह हिस्सा 29 अप्रैल 1963 को स्थापित किया गया था। यह डीएसपीई अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित विभिन्न अर्थव्यवस्था-संबंधित अपराधों से संबंधित है। इन अपराधों में बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और अन्य में गंभीर धोखाधड़ी जैसे कार्य शामिल हैं।
4. **अभियोजन निदेशालय (Directorate of Prosecution)**:सीबीआई का यह विभाग उन लोगों पर कानूनी कार्रवाइयों से संबंधित है जो अन्य डिवीजनों द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके कार्यों में न्यायालयों में परीक्षण, अपील और संशोधन लंबित मामलों का संचालन और पर्यवेक्षण शामिल है।
5. **नीति और समन्वय विभाग (Policy and Coordination Division)**:पॉलिसी डिवीजन उन सभी मामलों से संबंधित है जिनमें नीति, प्रक्रिया, संगठन, सतर्कता और सुरक्षा शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मंत्रालयों, प्रचार और सीबीआई में सतर्कता और सुरक्षा के संबंध में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ समन्वय शामिल है।
6. **केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला (Central Forensic laboratory)**: इस प्रभाग में सीबीआई के पुलिस और अधिकारियों दोनों की जांच के लिए एक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला शामिल है।

सीबीआई के कार्य और कर्तव्य

सीबीआई भारत सरकार की एक बहुआयामी जांच एजेंसी है और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों, आर्थिक अपराधों और पारंपरिक अपराध के मामलों की जांच करता है। यह आम तौर पर केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को रोकता है।

सीबीआई भारत में इंटरपोल के "राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो" के रूप में कार्य करती है। सीबीआई के इंटरपोल विंग भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के सदस्य देशों से उत्पन्न जांच-संबंधी गतिविधियों के लिए अनुरोधों का समन्वय करता है।

सीबीआई के कार्य:

सीबीआई के कार्य निम्नलिखित हैं:

1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच।
2. वित्तीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना अर्थात निर्यात और आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर,
3. विदेशी मुद्रा विनियम आदि से संबंधित कानूनों का उल्लंघन। हालांकि, ऐसे मामलों को संबंधित विभाग के अनुरोध के साथ परामर्श करने के बाद जाँच में शामिल किया जाता है।
4. पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विध्वंस वाले गंभीर अपराधों की जांच करना।
5. भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों को समन्वयित करना।
6. अपराध आंकड़ों को बनाए रखना और आपराधिक जानकारी प्रसारित करना।

आखिर समाचार में सीबीआई क्यों छाई हुयी है?

- अभूतपूर्व विकास में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने मुख्यालय के अंदर छापे मारे और पुलिस उपायुक्त (डीएसपी) देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी को 22 अक्टूबर 2018 को सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
- सतीश साना के बयान को फर्जी तरीके से रिकॉर्ड करने के आरोपों में कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने इस मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत का भुगतान करने का आरोप लगाया था। रिश्वत के आरोप में एजेंसी द्वारा बुक किए गए अस्थाना ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ 24 अगस्त, 2018 को शिकायत की थी कि उन्होंने सतीश साना से 2 करोड़ रुपये का रिश्वत लिया था ताकि वह इस मामले में राहत दे सकें।
- 24 अक्टूबर 2018 सुबह, एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ओडिशा कैडर के 1986 बैच भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी नागेश्वर राव, जांच

एजेंसी में संयुक्त निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। वह निदेशक, सीबीआई के कर्तव्यों और कार्यों की देखभाल करेंगे, और तत्काल प्रभाव से कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करेंगे।

हमें आशा है कि आपको यह लेख सहायक होगा। ऐसे अन्य लेख देखें।

नोबेल पुरस्कार विजेता 2018	भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची
भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज की सूची	RBI का प्राथमिकता क्षेत्र उधार
भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल	भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सूची

क्या आप अपनी तैयारी की जांच करना चाहते हैं या इसे बढ़ावा देना चाहते हैं? यदि हां, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो आपको हमारे अभ्यास पृष्ठ पर ले जाएगा, ताकि आप समय-समय पर विभिन्न प्रश्नों का अभ्यास कर सकें!

Practice Qs for Govt. exams

अगर आपको इस भर्ती अधिसूचना या किसी अन्य के बारे में कोई संदेह या प्रश्न हैं, तो आप हमारे साथी सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

Go to Testbook Discuss